न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67/2025

श्री रामनारायण पुत्र श्री मांगीलाल उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम कुचील, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान ।

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 15.04.2025

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री अभिषेक सिंह

वकील अप्रार्थी श्री पैरोकार सरकार

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री अभिषेक शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम कुचिल पटवार हल्का कुचिल भू.अभि.नि.क्षेत्र रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में निम्न खाता एंव खसरा की स्थित है जिसका विवरण इस प्रकार से है–

खाता स. पुराना	खाता स. नया	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
600	612	1231/1	1.8041 हैक्टेयर	बंजर व बारानी दोयम

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा पृथक–पृथक खातेदारी अधिकारों के निहित है। जिसे आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि से उल्लेखित किया गया है। जिसमें प्रार्थी उपरोक्त वर्णित भूमि के बहैसियत खातेदार होकर काबिज काश्तकार है जिसमें किसी अन्य का कोई हक–हिस्सा, दखल, ऐतराज आदि नही है। प्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु कोई भी रास्ता वास्ते आवागमन का उपलब्ध नही है वर्तमान में वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी द्वारा सार्वजनिक रास्ता खसरा संख्या 1215/10 रकबा 0.0243 किस्म गै.मु. रास्ता से होते हुए आगे चलकर खसरा संख्या 1215/2 रकबा 0.2832 किस्म राजकीय भूमि की सींव से होते हुए जो सींव खसरा संख्या 1240 से समीप व लगती हुई है से होकर पगडंडी रास्ता में से होकर प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में अरसो दराज से आते जाते रहते है तथा आज दिन तक निरंतर रूप से आ जा रहे है। प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में वर्णित अर्को दराज से प्रचलित सुलभ एव निकटतम पगडंडी रास्ता का प्रयोग प्रार्थी व उसके पूर्वाधिकारी गत 70 वर्षो से बिना कोई रोक टोक, अवरोध, बाधा अड्चन आदि के करते चले आ रहे है एंव बिना किसी अडौसी–पडोसी खातेदारों के दखल के इसी उक्त वर्णित रास्ते से उपज एव पैदावार अपने खेत में लाते–लेजाते रहे है परतु वर्तमान में मशीनी युग को देखते हुए कृषि कार्य हेतु साधन जैसे ट्रेक्टर, मशीनी उपकरण आदि ले जाना संभव नहीं होकर काफी दुर्लभ हो गया है जिस कारण प्रार्थी को कई प्रकार की कठिनाईओं का सामना करना पड रहा है। उपरोक्त वर्णित

प्रचलित पगडंडी रास्ता का प्रयोग प्रार्थी व इनके परिवारजन अपने पूर्वाधिकारीयों के समय से बेशर्त, स्थायी रूप से, सार्वभौमिक अधिकार होने से करते आ रहे है जिस कारणवश उक्त रास्ता भूमि पर प्रार्थी के सुगमता एंव मार्ग का सुखाधिकार के अधिकार न्यस्त हो रखे है।उपरोक्त प्रचलित पगडंडी रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास सुलभएंव निकटतम रास्ता अन्य कही से उपलब्ध नही है ना ही मौके पर उपलब्ध है। चरण संख्या 3 में वर्णित पगडंडी रास्ता भूमि अप्रार्थी राज्य सरकार की भूमि है जिससे पगडंडी रास्ता प्रचलित होकर आगे जाकर सार्वजनिक रिकॉर्डेड रास्ता जो सरकारी विभाग की भूमि के नाम होकर रिकोर्डेड रास्ता भूमि है में मिल जाता है। उपरोक्त चरण संख्या 3 में वर्णित प्रचलित रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास किसी प्रकार का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। यही केवल मात्र सुलभ, सरल, निकतटम तथा लघुतम रास्ता है। प्रार्थी को स्वयं के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर पहुंचने हेतु, कृषि कार्य हेतु उक्त वर्णित प्रचलित पगडंडी रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध नही है। प्रार्थी की रास्ता भूमि पर किसी भी प्रकार से रिकोर्डेड रास्ता भूमि आवागमन हेतु उपलब्ध नही होने तथा कृषि जोत की कटाई व बुवाई हेतु मशीनी उपकरण ले जाने में कई समय से बाधा कारित हो रही है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर सुनिश्चित तरिके से कृषि कार्य विकास कार्य आदि नही कर पा रहे है. बार–बार बाधा, अवरोध उत्पन्न करने से प्रार्थी अपनी कृषि पर किसी भी प्रकार से सुलभ कृषि कार्य नही कर पा रहे है। जो एक तरह से देश के कृषि विकास मे भी बाधा है क्योंकी "Indias Culture is Agriculture" उपरोक्त कारणो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कोई दुर्भावना नही है। क्योंकी भारतीय कानूनों ने भी प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिये रास्ता होना आवश्यक माना गया है। ऐसा नहीं करने से रास्ता विहित काश्तकार अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर सकेगें। जिससे भारत देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिकुल असर पड़ेगा। इस कारण विधि अनुसार भी काश्तकारों को रास्ता प्राप्त करने का कानुनन अधिकार धारा 251 (क) के तहत् सुनिश्चित किया गया है। उपरोक्त चरण संख्या 3 में वर्णित प्रचलित रास्ता जो एक मात्र लघुतम–निकटतम सुविधाजनक रास्ता है का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने एवं नक्शे में पुख्ता तरमीम नहीं होने से प्राथी व अप्रार्थी के मध्य वाद–विवाद होता रहेगा है तथा भविष्य में भी वाद–विवाद होने की पूर्ण आंशका है इस कारण उक्त चरण संख्या 3 में वर्णित पगडंडी रास्ता को न्यूनतम 30 फीट चौडाई का रास्ता उपलब्ध करवाकर कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में पुख्ता इन्द्राज कर एंव तरमीम किया जाना अति आवश्यक है ताकी भविष्य में किसी प्रकार का कोई वाद–विवाद उत्पन्न नहीं हो इसके अतिरिक्त प्रचलित रास्ते को वर्तमान मशीनरी युग में सुगम व सुलभ बनाने हेतु न्यूनतम चौडाई 30 फीट रहनी चाहिये ताकी मशीनरी, पैदावार आदि को लाने ले जाने में कोई बाधा कारित ना हो। प्रार्थी उपरोक्त चरण संख्या 3 में वर्णित प्रचलित पगडंडी रास्ता में से माननीय न्यायालय किसी भी रास्ता को कायम किये जाने बाबत् माननीय न्यायालय जिस प्रकार भी आदेश पारित करें प्रार्थी उसकी पालना करने हेतु हमेशा तत्पर एंव तैयार है तथा रास्ता कायम हेतु तय शुदा डी.एल.सी. अनुसार 2 गुना अथवा अन्य निर्धारित प्रतिकर अप्रार्थी को संदाय करने हेतु तैयार / तत्पर व सहमत है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों से वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो आज दिन तक उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है। अप्रार्थी को उक्त चरण संख्या 3 में वर्णित खसरा संख्या 1215/10 की भूमि का स्वामी व भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार संयोजित कर पक्षकार बनाया गया है तथा चरण संख्या 3 में वर्णित रास्ता को कायम करने की प्रार्थना की गई है जो अप्रार्थी की भूमि है, यह कि अप्रार्थी को पक्षकार बनाने से पूर्व दो माह का सूचना पत्र प्रेषित कर वाद प्रस्तुत किया जाता है तो प्रार्थी को अनावश्यक रूप से देरी कारित होगी इस कारण उक्त अवधि से उन्मुक्ति चाहने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम

उपखण्ड अधिकारी

कुचिल पटवार हल्का कुचिल भू.अभि. नि.क्षेत्र रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित होने से उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढ़ को निश्चित क्षेत्राधिकार प्राप्त होकर सुनवाई करने का अधिकार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि वास्ते, प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में वर्णित प्रचलित पगडंडी रास्ता को न्यूनतम 30 फीट या इससे अधिक के नाप पर कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें एंव राजस्व नक्शा में तरमीमशुदा पुख्ता रास्ता दर्ज किये जाने के उचित आदेश पारित करें

2. प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.03.2025 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रार्थना पत्र में दिनांक 04.04.2025 को रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थी की आराजी ग्राम कुचील तहसील किशगनढ में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी खसरा संख्या 1231/1 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 1215/2 रकबा 4.8540 हैक्टेयर में से 30 फीट का रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0404 हैक्टेयर है तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर 05,90,000/– प्रति हैक्टेयर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि 47,700/– अक्षरे सैतालिस हजार सात सौ रूपये मात्र बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है।

3. दिनांक 08.04.2025 को वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट मय जवाब के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी की आराजी ग्राम कुचील तहसील किशगनढ में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी खसरा संख्या 1231/1 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 1215/2 रकबा 4.8540 हैक्टेयर में से 30 फीट का रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.0404 हैक्टेयर है तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर 05,90,000/– प्रति हैक्टेयर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि 47,700/– अक्षरे सैतालिस हजार सात सौ रूपये मात्र बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किये जाने पर प्रार्थी के आवागमन के लिये प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध हो जायेगा जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थी का विधिक अधिकार है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि खसरा संख्या 1215/2 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0404 हैक्टेयर (30 फीट चौडाई) भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर 05,90,000/– प्रति हैक्टेयर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि 47,700/– अक्षरे सैतालिस हजार सात सौ रूपये मात्र होती है, जो प्रार्थी द्वारा राजकीय कोष, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0404 हैक्टेयर भूमि की प्रतिभूति राशि 47,700/– अक्षरे सैतालिस हजार सात सौ रूपये मात्र तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक /2025/1965 दिनांक 04.04.2025

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0404 हैक्टैयर (30 फीट चौडाई) भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया-जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़